

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई, 2015-श्रावण 9, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT INDORE
ORIGINAL COMPANY JURISDICTION

Company Petition No. 13 of 2015

In re : Grasim Industries Limited,
registered office, Birlagram, Nagda
District Ujjain (M. P.) 456 331.

PETITIONER

ADVERTISEMENT OF PETITION

A Petition under S. 391 to 394 of the Companies Act, 1956 for sanctioning a Scheme of Amalgamation between Aditya Birla Chemicals (India) Ltd., Gahrwa Road, District Palamau, Jharkhand 822 124 and the petitioner **Grasim Industries Limited**, Birlagram, Nagda, District Ujjain (M. P.) 456 331., was presented by the Petitioner on the 22nd day of June, 2015 and the said petition is fixed for hearing before the Company Judge on the 17th day of August, 2015.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges.

By order of Hon'ble High Court

Bharat Chitale, Sandeep Kochatta & Amit Pardeshi

Registrar, High Court of Madhya Pradesh,
Bench at Indore.

Advocates
28/2, Race Course Road,
Indore - 452003.
Advocates for the Petitioner.

(240-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, परमवीर प्रेमचंद (नया नाम) पिता प्रेमचंद पंचवाल, निवासी मकान नं. 1711, टाल मोहल्ला महु, जिला इंदौर (म.प्र.) का होकर यह घोषणा करता हूँ कि, मैं स्वयं के पूर्व नाम (परमवीर पंचवाल) का पूर्ण रूप से त्याग कर रहा हूँ एवं अनुरोध करता हूँ कि इस सूचना के पश्चात् मुझसे सम्बन्धित सभी शासकीय एवं गैर शासकीय व निजी दस्तावेजों पर केवल मेरे नए नाम "परमवीर प्रेमचंद पिता प्रेमचंद पंचवाल" का उपयोग किया जावे.

पुराना नाम :

(परमवीर पंचवाल)

पिता-प्रेमचंद पंचवाल

(226-बी.)

नया नाम :

(परमवीर प्रेमचंद)

पिता-प्रेमचंद पंचवाल,

1711, टाल मोहल्ला महु, (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वेदनारायण त्रिपाठी तनय श्री रामभक्त त्रिपाठी हाल मुकाम, निवासी अयप्पा नगर बांधवगढ़ कॉलोनी, सतना (म.प्र.) अपनी पुत्री कु. खुशी त्रिपाठी से कु. नंदिता त्रिपाठी कर रहा हूँ. अतः आज दिनांक से समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में कु. खुशी त्रिपाठी की जगह कु. नंदिता त्रिपाठी पढ़ा, लिखा एवं समझा जाए.

भवदीय

वेदनारायण त्रिपाठी,

निवासी-अयप्पा नगर बांधवगढ़ कॉलोनी,

सतना (म. प्र.).

(227-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय कुम्हार पिता श्री खुशाली राम कुम्हार, उम्र लगभग 30 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी-ग्राम इटौली, पोस्ट-कछारगाँव (बड़ा), तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी मध्यप्रदेश. यह कि मेरा नाम समस्त शासकीय एवं अशासकीय तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में विजय कुम्हार आत्मज खुशाली राम कुम्हार अंकित है. आज दिनांक के पश्चात् मेरे नाम के साथ अंकित जाति कुम्हार के साथ विजय कुमार चक्रवर्ती आत्मज श्री खुशालीराम कुम्हार के नाम से जानी-पहचानी जावे एवं मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय व शैक्षणिक दस्तावेजों में पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम :

(विजय कुम्हार)

(229-बी.)

नया नाम :

(विजय कुमार चक्रवर्ती)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धारासिंह पिता नाथुसिंह बाछड़ा, निवासी पिपलिया जोधा, जिला रतलाम का होकर मैं अपने पुत्र चन्दनसिंह का नाम परिवर्तन कर हेमन्त कराना चाहता हूँ. अतः मेरे पुत्र को हेमन्त नाम से जाना जावे.

धारासिंह,

पिता-नाथुसिंह बाछड़ा,

निवासी-पिपलीया जोधा. तहसील जावरा,

जिला रतलाम (म. प्र.).

(230-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मैं श्रीमती संजीता राजेश छारी, पत्नी श्री राजेश छारी, आयु 42 वर्ष, विद्या अपार्टमेंट फ्लेट नं. सी-203, 139 सरस्वती नगर, यूनिवर्सिटी रोड, थाटीपुर, ग्वालियर की निवासी हूँ. मेरा विवाह दिनांक 06-12-2001 को श्री राजेश छारी पुत्र स्व. श्री गंगाशरण के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ.

विवाह से पूर्व मेरा नाम संजीता संसिया पुत्री श्री कृष्णा संसिया था. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती संजीता राजेश छारी पत्नी श्री राजेश छारी हो गया है. त्रुटिवश विवाह पश्चात् कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम संजीता छारी दर्ज हो गया है. चूंकि मेरा वर्तमान में सम्पूर्ण नाम श्रीमती संजीता राजेश छारी है इसलिये आज दिनांक से पहले के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय, प्रमाण-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा सम्पूर्ण नाम अर्थात् श्रीमती संजीता राजेश छारी पढ़ा एवं समझा जावे.

पुराना नाम :

(कुमारी संजीता संसिया)

(231-बी.)

नया नाम :

(संजीता राजेश छारी)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में मेरा नाम PUTTAN LAL अंकित है जबकि मैंने भारतीय स्टेट बैंक की सर्विस के दौरान अपना नाम परिवर्तित कर PUTTAN LAL GAUTAM रख लिया है अब मुझे भविष्य में PUTTAN LAL GAUTAM के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(PUTTAN LAL)

(238-बी.)

नया नाम :
(PUTTAN LAL GAUTAM)

पुत्र श्री रामभजन,
निवासी-ए-305, माधवराव सिंधिया इन्क्लेव,
थाटीपुर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

CHANGE OF NAME

I, KIRAN MANOHAR MATKAR, here by declare that I, have changed my name as KIRAN MATKAR, So from now and in future. I will be known by my new name KIRAN MATKAR.

Old Name :
(KIRAN MANOHAR MATKAR)

(234-B.)

New Name :
(KIRAN MATKAR)
Address—Super D-385, MPEB Colony,
Sarni (M.P.).

CHANGE OF NAME

Previously my name was LEELA BASRA, which is now changed as POONAM BASRA W/o SURINDER KUMAR BASRA. From now onwards I shall be known by this name only.

Old Name :
(LEELA BASRA)

(235-B.)

New Name :
(POONAM BASRA)
W/o Surinder Kumar Basra
Address—HIG-9, Trilok Nagar, Ujjain Road,
Dewas (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, NANDLAL DEVNANI changed my name to MANISH DEVNANI and now I would be known as MANISH DEVNANI.

Old Name :
(NANDLAL DEVNANI)

(236-B.)

New Name :
(MANISH DEVNANI)
S/o Arjun Devnani,
Address—60, Silver Palace, Behind
Dashhara Maidan, Indore (M.P.).

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s SHASTRI BROTHERS, having office at Ward No. 29- Station Road Distt-Balaghat, a partnership firm incorporated on 01/04/1992, having Six Partners named as (1) Shri Sharad Shastri, (2) Shri Avinash Shastri, (3) Shri Sudhir Shastri and (4) Smt. Geeta Shastri, (5) Smt. Nalini Shastri, (6) Smt. Uma Sandeep Shastri. That with effect from 07/07/2013 two partners (1) Smt. Geeta Shastri and (2) Smt. Nalni Shastri has retired from the firm and one new partner (1) Smt. Shruti Shastri has been introduced in the firm. Thus with effect from 07/07/2013 there shall be five number of partners in the firm namely (1) Shri Sharad Shastri, (2) Shri Avinash Shastri, (3) Shri Sudhir Shastri, (4) Smt. Uma Shastri, (5) Smt. Shruti Shastri. This Public notice is being published for the purpose of information to be given to office of Registrar of Firms and Society.

(228-B.)

For- Shastri Brothers
SHARAD SHASTRI,
(Partner).
M/s Shastri Brothers Balaghat.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, फर्म "मेसर्स ग्रीन हिल्स हाउसिंग" का वर्तमान पंजीयक, पता-जी-10, ओनम प्लाजा, आगरा-मुम्बई रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश है. अब दिनांक 30-06-2015 से कथित फर्म का वर्तमान पता परिवर्तित होकर 15/3, साउथ तुकोगंज, इन्दौर मध्यप्रदेश हो रहा है.

यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह इस जाहिर सूचना प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति नीचे लिखे पते पर दे. नियत समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति फर्म पर बंधककारक नहीं रहेगी.

अरूण गुप्ता (साझेदार)	तरूण गुप्ता (साझेदार)	टीन गुप्ता (साझेदार)	अरूण कुमार गुप्ता जी-10, ओनम प्लाजा, आगरा-मुम्बई रोड, इंदौर (म.प्र.).
--------------------------	--------------------------	-------------------------	---

(232-बी.)

सर्व-साधारण सूचना

श्री महामृत्युंजय स्टोन क्रेशर कुइया, जिला रीवा का पंजीयन कार्यालय फर्म एवं सोसायटी संस्थाएं, रीवा, सम्भाग रीवा में क्रमांक-05/22/08/00142/13, दिनांक 30-10-2013 को पंजीयन हुआ था. जिसमें तीन भागीदार (पार्टनर) थे-

1. अजय कुमार द्विवेदी पिता रामप्रसाद द्विवेदी, निवासी-घोघर, तहसील हुजूर, जिला रीवा.
2. अमित कुमार मिश्रा पिता आनंद स्वरूप मिश्रा, निवासी-ग्राम रौरा, पोस्ट डिहिया, जिला रीवा.
3. प्रदीप कुमार वाजपेयी पिता श्यामकिशोर वाजपेयी, निवासी वार्ड-15, रतहरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा. जिसमें भागीदार क्रमांक-03 (पार्टनर) प्रदीप कुमार वाजपेयी पिता श्री श्यामकिशोर वाजपेयी उक्त फर्म से अलग हो गये हैं. इनकी कोई लेनदारी, देनदारी शेष नहीं है.

अतः जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो नीचे पते पर प्रस्तुत कर सकता है. आपत्ति अवधि समाप्त हो जाने के बाद लेनदारी, देनदारी कोई कार्यवाही की समस्त जवाबदारी भागीदार क्रमांक-01 (पार्टनर) अजय कुमार द्विवेदी व भागीदार क्रमांक-02 अमित कुमार मिश्रा की होगी.

सुशील कुमार शुक्ला

(एडवोकेट)

पता-मकान नं.-2/21/426,
गणेश ज्वेलर्स मार्ग, नेहरू नगर,
रीवा (म.प्र.).

(233-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स मोहम्मद असगर एण्ड ब्रदर्स, बुरहानपुर के साझेदार मोहम्मद असगर पिता अली मोहम्मद, निवासी बुरहानपुर, जिनका आकस्मिक निधन दिनांक 15-12-2011 को हो जाने के कारण फर्म में उनके स्थान पर उनके भतीजे वसीम पिता मोहम्मद अथर, निवासी बुरहानपुर जो कि नवीन साझेदार के रूप में 16-12-2011 को शामिल हुए हैं. जिसका संशोधन अभिलेक 24-01-2012 को हुआ.

फर्म के साझेदार-मोहम्मद अथर पिता अली मोहम्मद, निवासी बुरहानपुर जिनका आकस्मिक निधन दिनांक 25-07-2014 को हो जाने के कारण फर्म में उनका हिस्सा उनके पुत्र मोहम्मद वसीम पिता मोहम्मद अथर को हस्तांतरित किया गया, जिसका संशोधन अभिलेक 19-08-2014 को हुआ.

M/s Mohd. Asghar & Bros.

FAKHRUDDIN

S/o Late Ali Mohd.

(Partner).

(237-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-04-2009 से भागीदारी पंजीकृत फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 01/08/02/00133/03, दिनांक 27-11-2003 है. मै. अमृतलाल जैन, पता-अमृतश्री मेन रोड, हरदा की भागीदारी में- (1) श्रीमती साधना जैन पति श्री राजीव जैन, निवासी हरदा (उम्र व्यस्क), (2) श्रीमती ज्योति जैन पति श्री संजय कुमार जैन, निवासी हरदा (उम्र व्यस्क), (3) श्रीमती सीमा जैन पति श्री सरगम जैन, निवासी हरदा (उम्र व्यस्क) को भागीदार के रूप में शामिल कर लिया है.

फर्म-मै. अमृतलाल जैन,

राजीव कुमार जैन

(भागीदार)

अमृतश्री मेन रोड, हरदा (म. प्र.).

(239-बी.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, खरगौन

परिशिष्ट क्रमांक-10 (भाग-2) चराई प्रतिबंधित क्षेत्र घांस बीड की सूची

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों के सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि खरगौन वनमण्डल के इन वनक्षेत्रों में 1 जुलाई, 2015 से आगामी आदेश तक पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी :—

अ.क्र.	परिक्षेत्र का नाम	चराई से बन्ध क्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1	2	3	4	5
1.	चिरीया भीकनगांव भीकनगांव चिरीया चिरीया भीकनगांव	1. घांस बीड, इरपुर	524	33.993
		2. घांस बीड, टेमला भाग-1	531	23.88
		3. घांस बीड, टेमला भाग-2	531	23.88
		4. घांस बीड, सेमल्यामाल	540	40.47
		5. घांस बीड, बादरखां	540	59.49
		6. घांस बीड, सागटियामाल	543	71.63
		7. घांस बीड, खेरदा रोशीया भाग-1	549	125.86
		8. घांस बीड, खेरदा रोशीया भाग-2	549	125.86
		9. घांस बीड, गाडरियामाल भाग-1 व 2	557	93.08
		10. घांस बीड, मेहरचन्दवाली सुतार कुंडिया नीमदगड.	617,618	118.57
		11. घांस बीड, मबीवाली	621	21.85
		12. घांस बीड, काकड़वाली	623	15.78
		13. घांस बीड, सादडवाली	630	8.50
		14. घांस बीड, अंजनबैडी	623	17.40
		15. घांस बीड, सागटियामाल	561	118.17
		16. घांस बीड, पेमावाली	623	15.38
		17. घांस बीड, लंगडीबैडी	623	14.57
		18. घांस बीड, शिकारिया	623	15.38
		2.	कसरावद	19. घांस बीड, मुराला भाग-1
20. घांस बीड, मुराला भाग-2	631			29.95
21. घांस बीड, चकरिया भाग-1	648			21.45
22. घांस बीड, चकरिया भाग-2	648			22.26
23. घांस बीड, चंदनपुरी	652			111.69
3.	खरगौन	24. घांस बीड, मेहरघट्टी भाग-1	659	38.44
		25. घांस बीड, मेहरघट्टी भाग-2	659	35.18
4.	कसरावद	26. घांस बीड, नारायणपुरा भाग-1	672	82.04
		27. घांस बीड, नारायणपुरा भाग-1	672, 670	63.13
		28. घांस बीड, बारदेवला	671 से 673	80.13
		29. घांस बीड, सातपिपरी	691	31.88

चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची वनमण्डल सामान्य, खरगौन

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों के सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि खरगौन वनमण्डल के इन वनक्षेत्रों में 1 जुलाई, 2015 से आगामी आदेश तक पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी :-

अ.क्र.	परिक्षेत्र का नाम	चराई से बन्ध क्षेत्र	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1	2	3	4	5
वर्ष 2011				
1.	सिरवेल	बांस रोपण, रूपगढ़	543	50.000
2.	चिरीया	मिश्रित रोपण, चिरीया	745	30.000
3.	चिरीया	औंकारेश्वर निधि, चिरीया	745	50.000
4.	कसरावद	औंकारेश्वर निधि, बलकवाडा	1049	30.000
5.	भीकनगांव	औंकारेश्वर निधि, चौण्डी	1011	25.000
6.	बिस्तान	औंकारेश्वर निधि, सामरपाट	698	25.000
7.	बिस्तान	वैकल्पिक वृक्षारोपण, सामरपाट	698	45.500
8.	भीकनगांव	वैकल्पिक वृक्षारोपण, सातखाली	1005	4.000
9.	बरूड़	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, बडी	450	10.000
10.	बरूड़	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, डोंगरचिचली	435	10.000
11.	कसरावद	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, चिचलाय	681	10.000
12.	कसरावद	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, बकलवाडा	666	10.000
13.	कसरावद	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, रेगवां	1201	10.000
14.	चिरीया	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, साईंखेड़ा	935	10.000
15.	चिरीया	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, आमडी	736	10.000
16.	भीकनगांव	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, पालधा	558	10.000
17.	भीकनगांव	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, सिरालाबाद	533	10.000
18.	तितरान्या	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, पलोना	450	10.000
19.	बिस्तान	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, बन्हूर	219	10.000
20.	सिरवेल	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, निलझर	568	10.000
21.	खरगौन	ऊर्जावन चारागाह विकास रोपण, बड़गांव	1199	10.000
22.	भीकनगांव	मिश्रित रोपण, जेतगढ़	566	35.000
23.	भीकनगांव	मिश्रित रोपण, जेतगढ़	566	18.000
24.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, नागझिरी	1081/705	50.000
25.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, देवनल्या	455/51	180.000
26.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, सेमल्यापडावा	443/39	57.000
27.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, मोहनपुरा	1085/18	116.420
28.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, झामटा	1120/56	71.230

1	2	3	4	5
29.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सिरवेल	1101/37	57.000
30.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, काबरी	461/57	60.000
31.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, देवझिरी	640/229	80.000
32.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, गुराला	1029/639	86.000
33.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, चंदनपुरी	1036/652	108.000
34.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, चिचलाय	1047/664	54.000
35.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पाडल्या	993/579	40.000
36.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, रतनपुर	1013/623	102.000
37.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सुन्देल	954/534	91.000
38.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, चिरीया	731/321	207.350
39.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, बोरवाल	778/364	80.000
40.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, धूपा	796/382	60.000
41.	बरूड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, केली	402	150.000
42.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, नारायणपुरा	1053	70.000
43.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, भोपालपुरा	1065	70.000
44.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, भोपालपुरा	1047	60.000
45.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार, जलालाबाद	401/1	214.000
46.		बिगड़े वनों का सुधार, लिपनी	430/26	101.000
47.		बिगड़े वनों का सुधार, नांगलवाडी	1155/355	108.000
48.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, झापडीमली	1091/28	96.000
49.		बिगड़े वनों का सुधार, अनेर	545/134	111.500
50.		बिगड़े वनों का सुधार, मालखेडा	540/129	130.000
51.		बिगड़े वनों का सुधार, करणडाबरा	1103/39	72.000
52.		बिगड़े वनों का सुधार, खोखरअम्बा	1122/58	93.740
53.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, भुलवान्या	473/67	107.000
54.		बिगड़े वनों का सुधार, चमोली	482/76	58.000
55.		बिगड़े वनों का सुधार, गुजरबावडी	490/84	126.000
56.		बिगड़े वनों का सुधार, कडवापानी	520/113	108.000
57.		बिगड़े वनों का सुधार, मेंडागढ़	671/260	127.000
58.		बिगड़े वनों का सुधार, झगड़ी	643/232	81.260
59.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, रातली	924/504	79.370
60.		बिगड़े वनों का सुधार, सेमलखूंट	758/344	66.300
61.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, पलासपानी	861/447	65.000
62.		बिगड़े वनों का सुधार, गाड़याम	853/437	98.000

1	2	3	4	5
63.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, सातताली	798/384	88.000
64.		बिगड़े वनों का सुधार, मलगांव	804/390	90.000
65.		बिगड़े वनों का सुधार, बोरवाल	829/414	80.000
वर्ष 2012				
1.	कसरावद	मिश्रित रोपण, बेसरकुण्ड	1052	20.000
2.	चिरीया	औंकारेश्वर निधि, साईंखेड़ा	935	25.00
3.	भीकनगांव	जलाऊ वृक्षारोपण, लंगडीबैडी	622	30.000
4.	कसरावद	जलाऊ वृक्षारोपण, भोपालपुरा	1049	50.000
5.	कसरावद	जलाऊ वृक्षारोपण, चिचलाय	1063	50.000
6.	बिस्टान	बांस रोपण, बामनपुरी	220	35.000
7.	सिरवेल	बांस रोपण, खापरजामली	541	40.000
8.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, पिपलझोपा	247	30.000
9.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, लाहोरपानी	242	30.000
10.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, लाहोरपानी	243	30.000
11.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, धरमपुरी	250	30.000
12.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, राजमली	206	30.000
13.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार, जलालाबाद	403	96.000
14.		बिगड़े वनों का सुधार, लिपनी	438	150.000
15.		बिगड़े वनों का सुधार, नागलवाडी	1158	150.000
16.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, झापडीमली	1091	125.000
17.		बिगड़े वनों का सुधार, सिरवेल	569	150.000
18.		बिगड़े वनों का सुधार, मालखेड़ा	571	80.000
19.		बिगड़े वनों का सुधार, हाथीबुडिया	1103	100.000
20.		बिगड़े वनों का सुधार, रूलीबड़	1124	100.000
21.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, भुलवान्या	474	167.000
22.		बिगड़े वनों का सुधार, गुजरबावडी	491	96.000
23.		बिगड़े वनों का सुधार, रूपगढ़	505	81.000
24.		बिगड़े वनों का सुधार, कडवापानी	532	130.000
25.		बिगड़े वनों का सुधार, धरमपुरी	612	100.000
26.		बिगड़े वनों का सुधार, लाहोरपानी	649	80.000
27.		बिगड़े वनों का सुधार, जामली	661	100.000
28.		बिगड़े वनों का सुधार, मेंडागढ़	672	50.000
29.		बिगड़े वनों का सुधार,	683	75.000
30.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, बडी	926	80.000

1	2	3	4	5
31.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, रातली	924	40.000
32.		बिगड़े वनों का सुधार, बोन्द्रानिया	909	120.000
33.		बिगड़े वनों का सुधार, सेमलखूंट	759	100.000
34.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, पलासपानी	862	100.000
35.		बिगड़े वनों का सुधार, सातताली	798	80.000
36.		बिगड़े वनों का सुधार, मलगांव	805	100.000
37.		बिगड़े वनों का सुधार, बोरवाल	830	70.000
38.	खरगौन	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, नागझिरी	1082	100.000
39.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, ऊन	1083	86.000
40.	बरूड़	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, जलालाबाद	434	60.000
41.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, बीजागढ़	406	80.000
42.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, सेमल्यापडावा	457	125.000
43.	सिरवेल	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, मोहनपुरा	1085	80.000
44.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, हाथीगुड़िया	1104	100.000
45.	बिस्टान	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, काबरी	466	105.000
46.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, जामुनपाटी	598	130.000
47.	कसरावद	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, मुराला	1029	58.000
48.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, मुलठान	1031	57.000
49.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, चंदनपुरी	1036	80.000
50.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, चिचलाय	1048	85.000
51.	भीकनगांव	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, रोड़िया	999	100.000
52.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, चिकलवास	962	110.000
53.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पाडल्या	1006	30.000
54.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पोखर बुजुर्ग	989	59.000
55.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पत्थरवाडा	974	30.000
56.	चिरीया	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पोई खुर्द	710	30.000
57.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, मोरदड़	721	48.000
58.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, सपाटिया	728	100.000
59.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, चिरीया	732	32.000
60.	तितरान्या	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, चौपाली	887	75.000
61.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पलासपानी	906	50.000
62.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, गुवाडा	787	100.000
63.		उर्जाविन एवं चारागाह विकास, धूपा	797	90.000
64.	बिस्टान	बांस रोपण, राजमली	617	50.000

1	2	3	4	5
65.	कसरावद	मिश्रित रोपण, नारायणपुरा	1054	30.000
66.	खरगौन	पर्यावरण वानिकी, बड़गांव	1198	5.000
67.	चिरीया	पर्यावरण वानिकी, मुंडिया से ढसलगांव	—	1.00 K.M.
वर्ष 2013				
1.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार, जलालाबाद	403	50.000
2.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार, लिपनी	439	175.000
3.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार, नांगलवाडी	1156	150.000
4.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, झापडीमली	1095	125.000
5.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, अनेर	569	70.000
6.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, मालखेड़ा	571	80.000
7.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, करणडाबरा	1107	100.000
8.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, खोखरअम्बा	1126	80.000
9.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, भुलवान्या	474	99.000
10.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, चमोली	483	143.000
11.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, गुजरबावडी	491	50.000
12.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, रूपगढ़	505	60.000
13.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, कड़वापानी	533	105.000
14.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, धरमपुरी	613	125.000
15.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, लाहोरपानी	649	50.000
16.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, जामली	662	60.000
17.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, मेंडागढ़	673	50.000
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, झगडी	683	50.000
19.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, रातली	923	40.000
20.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, बोंद्रानिया	909	110.000
21.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, सेमलखूंट	759	40.000
22.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, सुलाबेडी	862	30.000
23.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, सुलाबेडी	855	30.000
24.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, हरणकुंडिया (उ.)	802	30.000
25.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, हरणकुंडिया (उ.)	805	30.000
26.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, हरणकुंडिया (उ.)	830	30.000
27.	खरगौन	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, नागझिरी	1082	80.000
28.	खरगौन	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, ऊन	1083	80.000
29.	बरूड़	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, महादेवपड़ावा	420	50.000
30.	बरूड़	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, जलालाबाद	434	80.000

1	2	3	4	5
31.	बरूड़	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, बीजागढ़	406	80.000
32.	बरूड़	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, देवनल्या	445	20.000
33.	बरूड़	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, सेमल्यापडावा	457	105.000
34.	बरूड़	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, जलालाबाद	433	80.000
35.	सिरवेल	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, मोहनपुरा	1089	100.000
36.	सिरवेल	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, झामटा	1127	150.000
37.	सिरवेल	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, रूपगढ़	511	70.000
38.	सिरवेल	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, सिरवेल	1104	80.000
39.	सिरवेल	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, झामटा	1125	100.000
40.	सिरवेल	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, सिरवेल	1100	60.000
41.	सिरवेल	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, मोहनपुरा	1085	80.000
42.	सिरवेल	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, झामटा	1120	70.000
43.	बिस्टान	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, काबरी	466	141.000
44.	बिस्टान	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पिपलझोपा	628	140.000
45.	बिस्टान	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, देवझिरी	642	50.000
46.	बिस्टान	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, जामुनपाटी	700	60.000
47.	कसरावद	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, मुराला	1021	80.000
48.	कसरावद	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, मुलठान	1031	80.000
49.	कसरावद	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, चंदनपुरी	1036	50.000
50.	कसरावद	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, सावदा	1054	60.000
51.	कसरावद	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, चिचलाय	1048	63.000
52.	कसरावद	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, डोलानी	1067	40.000
53.	भीकनगांव	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पाडल्या	1006	30.000
54.	भीकनगांव	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, रतनपुर	1014	30.000
55.	भीकनगांव	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पोखर बुजुर्ग	989	40.000
56.	भीकनगांव	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, रोड़िया	999	50.000
57.	भीकनगांव	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, कांझर कपासी	967	50.000
58.	भीकनगांव	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पत्थरवाडा	974	30.000
59.	भीकनगांव	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पिपल्या	951	90.000
60.	भीकनगांव	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, सुन्देल	963	50.000
61.	भीकनगांव	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, पत्थरवाडा	973	50.000
62.	चिरीया	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, घोड़ी खुर्द	710	40.000
63.	चिरीया	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, सपाटिया	728	50.000
64.	चिरीया	उर्जाविन एवं चारागाह विकास, मांडवा	740	40.000

1	2	3	4	5
65.	चिरीया	उर्जावन एवं चारागाह विकास, चिरीया	732	30.000
66.	चिरीया	उर्जावन एवं चारागाह विकास, नहालदरी	894	50.000
67.	चिरीया	उर्जावन एवं चारागाह विकास, अम्बाडोचर	938	50.000
68.	चिरीया	उर्जावन एवं चारागाह विकास, बेरछा	947	100.000
69.	चिरीया	उर्जावन एवं चारागाह विकास, नहालदरी	763	70.000
70.	तितरान्या	उर्जावन एवं चारागाह विकास, बोरवाल	772	50.000
वर्ष 2014				
1.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण, उमरदड़	1027	70.000
2.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण, गवला	1060	40.000
3.	बिस्तान	मिश्रित वृक्षारोपण, तलघर	642	30.000
4.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण, चिरीया	745	50.000
5.	बिस्तान	बांस रोपण, चरीपुरा	460	50.000
6.	सिरवेल	बांस रोपण, सिरवेल	569	50.000
7.	सिरवेल	बांस रोपण, सिरवेल	545	50.000
8.	सिरवेल	बांस रोपण, सिरवेल	545	40.000
9.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार, जलालाबाद	411	100.000
10.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार, लिपनी	440	80.000
11.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार, नांगलवाडी	1157	75.000
12.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, करणडाबरा	1107	25.000
13.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, मालखेड़ा	585	30.000
14.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, खोखरअम्बा	1126	50.000
15.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, अनेर	553	60.000
16.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, झापडीमली	1095	50.000
17.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार, लाहोरपानी	650	30.000
18.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार, जामली	662	60.000
19.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार, गुजरबावडी	492	100.000
20.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार, कडवापानी	533	60.000
21.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार, रूपगढ़	514	90.000
22.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार, धरमपुरी	616	60.000
23.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार, मेंडागढ	673	30.000
24.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार, झगडी	684	100.000
25.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार, भुलवान्या	475	80.000
26.	बिस्तान	बिगड़े वनों का सुधार, चमोली	484	95.000
27.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, बडी	928	40.000

1	2	3	4	5
28.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, रातली	923	90.000
29.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, बोन्द्रानिया	910	120.000
30.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, सेमलखूंट	760	150.000
31.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, पलासपानी	863	30.000
32.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, गाडग्याम	857	30.000
33.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, सातताली	802	30.000
34.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, मलगांव	806	30.000
35.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, बोरवाल	833	30.000
36.	खरगौन	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, नागझिरी	1038	120.000
37.	खरगौन	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, ऊन	1084	80.000
38.	बरूड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, महादेवपडावा	421	40.000
39.	बरूड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, जलालाबाद	1135	90.000
40.	बरूड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, बीजागढ़	408	75.000
41.	बरूड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, आमल्यापानी	1147	100.000
42.	बरूड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, देवनल्या	447	120.000
43.	बरूड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सेमल्यापडावा	458	150.000
44.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, रूपगढ़	512	40.000
45.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, मोहनपुरा	1090	40.000
46.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पलासखूंट	570	40.000
47.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सिरवेल	1105	80.000
48.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, कुम्हारबेडी	586	30.000
49.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, झामटा	1128	30.000
50.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, काबरी	467	90.000
51.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पीपलझोपा	629	50.000
52.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, देवझिरी	644	60.000
53.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, जामुनपाटी	700	60.000
54.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, चंदनपुरी	1050	60.000
55.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सावदा	1054	86.000
56.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, चिचलाय	1049	17.000
57.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, डोलानी	1067	80.000
58.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, मुराला	1021	80.000
59.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, मुलठान	1031	25.000
60.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, रोड़िया	1000	105.000
61.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पोखर बुजुर्ग	992	30.000

1	2	3	4	5
62.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पत्थरवाडा	975	30.000
63.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, कांझर कपासी	968	50.000
64.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सुन्देल	961	50.000
65.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पोखरखुर्द	988	50.000
66.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सपाटिया	729	30.000
67.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, मांडवा	745	90.000
68.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, चिरीया	747	20.000
69.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, बेरछा	947	50.000
70.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, घोडी खुर्द	711	50.000
71.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, मोरदड	722	25.000
72.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, घोडी खुर्द	709	100.000
73.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, चौपाली	773	50.000
74.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, बोरवाल	888	15.000
75.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पलासपानी	877	15.000
76.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सतापिपरी	852	30.000
77.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, गुवाडा	787	40.000
78.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, धुपा	788	30.000
79.	बिस्टान	नदी तट प्रबंधन वृत्त, कुन्दा	605	50.000
80.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन वृत्त, अनेर	1093	60.000
वर्ष 2015				
1.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण	1002	50.000
2.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण	915	50.000
3.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण	734	50.000
4.	खरगौन	मिश्रित वृक्षारोपण	1042	25.000
5.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण	1057	50.000
6.	बिस्टान	बांस रोपण	657	100.000
7.	सिरवेल	बांस रोपण	598	25.000
8.	सिरवेल	बांस रोपण	579	50.000
9.	भीकनगांव	बांस रोपण	1009	50.000
10.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार, जलालाबाद	411	100.000
11.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार, लिपनी	440	60.000
12.	बरूड़	बिगड़े वनों का सुधार, नांगलवाडी	1157	100.000
13.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, झापडीमाल	1096	30.000
14.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, अनेर	553	30.000

1	2	3	4	5
15.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, मालखेडा	585	30.000
16.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, करणडाबरा	1110	20.000
17.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार, खोखरअम्बा	1130	30.000
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, भुलवान्या	475	60.000
19.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, चमोली	485	50.000
20.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, गुजरबावडी	492	40.000
21.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, रूपगढ़	515	60.000
22.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, कडवापानी	536	80.000
23.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, धरमपुरी	617	40.000
24.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, लाहोरपानी	650	30.000
25.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, जामली	663	60.000
26.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, मेंडागढ़	674	50.000
27.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार, झगड़ी	689	70.000
28.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, बडी	930	60.000
29.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, रातली	927	40.000
30.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, बोन्दरान्या	910	30.000
31.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार, सेमलखूंट	761	50.000
32.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, पलासपानी	863	35.000
33.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, गाड़ग्याम	857	50.000
34.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, सातताली	808	35.000
35.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, मलगांव	806	38.000
36.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार, बोरवाल	833	30.000
37.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, नागझिरी	1038	90.000
38.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, ऊन	1084	40.000
39.	बरूड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, महादेवपडावा	421	60.000
40.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, जलालाबाद	1135	90.000
41.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, बीजागढ़	408	60.000
42.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, आमल्यापानी	1148	100.000
43.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, देवनल्या	447	75.000
44.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, सेमल्यापडावा	459	100.000
45.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, मोहनपुरा	1090	40.000
46.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, झामटा	1128	50.000
47.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, रूपगढ़	512	40.000
48.		ऊर्जावन एवं चारागाह विकास, सिरवेल	546	30.000

1	2	3	4	5
49.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पलासखूंट	570	50.000
50.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, कुम्हारबैडी	587	30.000
51.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, काबरी	467	50.000
52.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पीपलझोपा	630	150.000
53.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, देवझिरी	652	25.000
54.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, जामनपाटी	701	50.000
55.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, मुराला	1022	50.000
56.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, मुलठान	1032	90.000
57.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, चंदनपुरी	1037	110.000
58.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सावदा	1054	50.000
59.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, चिचलाय	1049	30.000
60.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, डोलानी	1068	110.000
61.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पाडल्या	1008	75.000
62.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, रतनपुर	1015	50.000
63.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पोखर बुजुर्ग	992	25.000
64.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, रोडिया	1000	150.000
65.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, कांझरकपासी	968	140.000
66.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पत्थरवाडा	976	40.000
67.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सुन्देल	961	40.000
68.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, घोडीखुर्द	711	15.000
69.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, मोरदड़	722	25.000
70.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सपाटिया	729	90.000
71.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, मांडवा	745	45.000
72.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, चिरीया	748	40.000
73.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, अम्बाडोचर	939	25.000
74.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, बेरछा	955	50.000
75.	तितरान्या	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, चौपाली	773	40.000
76.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, बोरवाल	888	14.000
77.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, पलासपानी	877	11.000
78.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, सतापिपरी	852	30.000
79.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, गुवाडा	789	30.000
80.		ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास, धुपा	788	40.000
81.	बिस्टान	नदी तट प्रबंधन योजना, कुन्दा	605	60.000
82.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन योजना, अनेर	1092	30.000

जे. आर. वास्कले,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

रैला मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्यादित, गंगाखेडी का पंजीयन क्रमांक 1014, दिनांक 19 अगस्त 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/14, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत रैला मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्यादित, गंगाखेडी का पंजीयन क्रमांक 1014, दिनांक 19 अगस्त 2010 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय दवे, S. A. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अगराल का पंजीयन क्रमांक 454, दिनांक 28 फरवरी, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/.... झाबुआ, दिनांक2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अगराल का पंजीयन क्रमांक 454, दिनांक 28 फरवरी, 1988 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय दवे, S. A. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नौगांवा का पंजीयन क्रमांक 715, दिनांक 06 नवम्बर, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/12, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नौगांवा का पंजीयन क्रमांक 715, दिनांक 06 नवम्बर, 1992 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय दवे, S. A. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

वाटर शेट बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खालखण्डवी का पंजीयन क्रमांक 1092, दिनांक 05 जून, 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/11, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत वाटर शेट बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खालखण्डवी का पंजीयन क्रमांक 1092, दिनांक 05 जून, 2013 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय दवे, S. A. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

आदि. बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रजला का पंजीयन क्रमांक 1015, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/9, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदि. बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रजला का पंजीयन क्रमांक 1015, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय दवे, S. A. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

जिला यातायात एवं परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1101, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/5, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत जिला यातायात एवं परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1101, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय दवे, S. A. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

शा. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 557, दिनांक 05 फरवरी, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/16, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत शा. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 557, दिनांक 05 फरवरी, 1981 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय दवे, S. A. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

अन्त्योदय प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1019, दिनांक 15 मई, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/15, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत अन्त्योदय प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 1019, दिनांक 15 मई, 2007 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय दवे, S. A. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

माही नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बनी का पंजीयन क्रमांक 1082, दिनांक 01 जून, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/10, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत माही नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बनी का पंजीयन क्रमांक 1082, दिनांक 01 जून, 2012 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, A.O. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

वर्धमान साख सह. सहकारी समिति मर्यादित, थांदला का पंजीयन क्रमांक 1108, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/8, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत वर्धमान साख सह. सहकारी समिति मर्यादित, थांदला का पंजीयन क्रमांक 1108, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, A.O. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

राधा महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, किशनपुरी का पंजीयन क्रमांक 994, दिनांक 28 जुलाई, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/17, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत राधा महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, किशनपुरी का पंजीयन क्रमांक 994, दिनांक 28 जुलाई, 2004 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, A.O. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

श्री आई जी साख सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1111, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/1, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत श्री आई जी साख सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1111, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, A.O. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

अमृत महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, काजली डुगरी का पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/3, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत अमृत महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, काजली डुगरी का पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, A.O. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

(402-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

माही माता महिला औद्योगिक स्वयं समूह सहायता सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1103, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2015/151/2, झाबुआ, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत माही माता महिला औद्योगिक स्वयं समूह सहायता सहकारी समिति मर्यादित, पेटलावद का पंजीयन क्रमांक 1103, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, A.O. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03 जुलाई, 2015 को जारी किया गया है.

बबलू सातनकर,

उप-आयुक्त (सहकारिता) एवं उप-पंजीयक.

(402-M)

कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर

कमलापत रानी महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महेवा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया), पंजीयन दिनांक से निष्क्रिय होने तथा सदस्यों द्वारा कारोबार में रुचि न लेने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/परि./2014/1843, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर एक माह के भीतर जवाब/उत्तर चाहा था. परन्तु संस्था की ओर से लगभग छः माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपस्थित हुआ. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है तथा वे संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही से सहमत हैं. चूंकि संस्था के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है तथा संस्था अकार्यशील एवं निष्क्रिय है. अतः ऐसी संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर कमलापत रानी महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., महेवा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री जे. एस. यादव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(403)

छतरपुर, दिनांक 29 मई, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा-गुरुदेव प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., सटई.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि गुरुदेव प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., सटई (जिसे आगे केवल "संस्था" कहा गया है) का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2014/2337, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के द्वारा श्री आर. के. शर्मा, वरि. सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. उनके द्वारा कार्यालय में दिये गये पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2015 से सूचित किया गया है कि संस्था द्वारा समिति के कोई भी अभिलेख प्रभार में नहीं सौंपे हैं. जिस कारण से संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा पा रहा है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जावे. प्रशासक के उक्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.
3. संस्था के सदस्य संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रहे हैं.
4. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप पंजीयन दिनांक से कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर अथवा दिनांक 29 जून, 2015 तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(403-A)

छतरपुर, दिनांक 29 मई, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा-प्राथमिक उप. सह. भण्डार मर्या., सटई.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि प्राथमिक उप. सह. भण्डार मर्या., सटई (जिसे आगे केवल "संस्था" कहा गया है) का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2014/2322, दिनांक 10 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री आर. के. शर्मा, वरि. सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. उनके द्वारा कार्यालय में दिये गये पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2015 से सूचित किया गया है कि संस्था द्वारा समिति के कोई भी अभिलेख प्रभार में नहीं सौंपे हैं. जिस कारण से संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा पा रहा है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जावे. प्रशासक के उक्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है.
3. संस्था के सदस्य संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रहे हैं.

4. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप पंजीयन दिनांक से कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर अथवा दिनांक 29 जून, 2015 तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें। अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(403-B)

छतरपुर, दिनांक 29 मई, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

द्वारा-मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., पनवारी.

इस सूचना-पत्र के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., पनवारी (जिसे आगे केवल "संस्था" कहा गया है) का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2014/305, दिनांक 17 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री आर. के. शर्मा, वरि. सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. उनके द्वारा कार्यालय में दिये गये पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2015 से सूचित किया गया है कि संस्था द्वारा समिति के कोई भी अभिलेख प्रभार में नहीं सौंपे हैं. जिस कारण से संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा पा रहा है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जावे. प्रशासक के उक्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि .—

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है।
2. संस्था अपने पंजीयन दिनांक से लगातार अकार्यशील है।
3. संस्था के सदस्य संचालक मण्डल का निर्वाचन कराने में असफल रहे हैं।
4. संस्था अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है।
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप पंजीयन दिनांक से कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बन्द कर दिया। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम-सभा आहूत कर आम-सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर अथवा दिनांक 29 जून, 2015 तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें। अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अखिलेश कुमार निगम,

डिप्टी-रजिस्ट्रार.

(403-C)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

रीवा, दिनांक 04 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/01.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत अधोलिखित सहकारी संस्था के सम्बन्ध में न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल की पुनरीक्षण याचिका प्रकरण क्रमांक 80 (क)-14/2014 एवं प्रकरण क्रमांक 80 (क)-15/2014 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के अनुक्रम में उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला रीवा के आदेश क्रमांक परि./2015/522, रीवा, दिनांक 25 मई, 2015 के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाया जाकर मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी) के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्था के सदस्यों या उनके वैध प्रतिनिधियों, समस्त लेनदारों व देनदारों को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के भीतर अपनी संस्था की लेनदारी/देनदारी से सम्बन्धित दावा/आपत्ति मुझे प्रमाण सहित कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, अन्यथा वे संस्था से किसी भी प्रकार के भुगतान/अधिकार/लेनदारी आदि के दावों से वंचित रहेंगे. नियत समयबाधित तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने की दशा में समयबाधित दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं होंगे. :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परि. आदेश क्र./दिनांक	परिसमापक का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5
1.	सर बिश्वेसरैया गृह निर्माण सह. समिति मर्या., रीवा .	643/06-11-1985	परि./2015/522, रीवा दिनांक 25 मई, 2015	शैलेश मालवीय, वरि. सह. निरीक्षक.

शैलेश मालवीय,

परिसमापक एवं वरि. सह. निरीक्षक.

(404)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 4 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 5 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञापित क्र./एफ-5-1-99-15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. निम्न संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2015 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	प्रारूप		
			पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	आदि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., देवडा.	भगवानपुरा	1172/31-03-1998	761/18-06-2014	श्री महेन्द्र ठाकुर, सह. निरीक्षक.
2.	जीवन सारथी साख सहकारिता मर्या., खरगौन.	खरगौन	111/29-07-2006 संशोधित पंजी. क्र. 1831/10-03-2014.	246/06-02-2012	श्री आर. के. रोमडे, सह. निरीक्षक.

1	2	3	4	5	6
3.	जनहित साख सहकारिता मर्या., खरगौन.	खरगौन	22/01-08-2003 संशोधित पंजी. क्र. 1725/10-03-2014.	1385/11-11-2014	श्री नवीन मुहावरे, सह. निरीक्षक.
4.	लक्ष्मी क्रेडिट कॉ आपरेटिव्ह साख सोसायटी लिमि. खरगौन.	खरगौन	87/09-11-2005 संशोधित पंजी. क्र. 1789/10-03-2014.	01/01-01-2015	श्री नवीन मुहावरे, सह. निरीक्षक.
5.	जय जलदेव मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खामखेडा.	कसरावद	1482/14-08-2006	761/18-06-2014	श्री राजाराम भट्ट, स. वि. अ.
6.	शांतनू साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	115/24-11-2006 संशोधित पंजी. क्र. 1806/10-03-2014.	1592/22-12-2014	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरी.
7.	दत्त साख सहाकरी संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	118/24-10-2006 संशोधित पंजी. क्र. 1820/10-03-2014.	1592/22-12-2014	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरी.
8.	श्री नवजागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कदवाली.	भगवानपुर	1354/03-01-2004	1592/22-12-2014	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरी.
9.	जनसहयोग साख सहकारिता मर्या., खरगौन.	खरगौन	63/28-02-2005 संशोधित पंजी. क्र. 1765/10-03-2014.	1385/11-11-2014	श्री आर. के. महाजन, सह. निरी.
10.	चैतन्य साख सहकारिता मर्या., खरगौन	खरगौन	115/24-11-2006 संशोधित पंजी. क्र. 1817/10-03-2014.	1592/22-12-2014	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरी.
11.	देवी मुद्रणालय सहकारिता मर्या., खरगौन	खरगौन	119/19-12-2006 संशोधित पंजी. क्र. 1821/10-03-2014.	1592/22-12-2014	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरी.
12.	श्री लक्ष्मी साख सहकारिता मर्या., खरगौन	खरगौन	58/18-11-2004 संशोधित पंजी. क्र. 1760/10-03-2014.	1327/31-10-2014	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरीक्षक.
13.	श्री यमुना जी साख सहकारिता मर्या., खरगौन.	कसरावद	14/04-01-2003 संशोधित पंजी. क्र. 10-03-2014.	79/23-01-2009	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधि.
14.	माँ अम्बे फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., गोगांवा.	गोगांवा	1508/20-04-2007	761/18-06-2014	श्री महेन्द्र ठाकुर, सह. निरीक्षक.
15.	जयदेव साख सहकारिता मर्या., खरगौन	खरगौन	113/10-11-2006 संशोधित पंजी. क्र. 1815/10-03-2014.	1592/22-12-2014	श्री मोहन परमार, वरि. सह. निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाएं को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	परिसमापन आदेश क्र. एवं दिनांक
1	2	3
1.	धाकड़ कृषि उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., राजोद, तहसील सरदारपुर.	371/24-03-2015
2.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., फुलगावड़ी, तहसील सरदारपुर, जिला धार.	230/23-02-2015
3.	जिला वृक्ष सहकारी संघ मर्या., धार तहसील धार, जिला धार.	156/15-01-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है. कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

स्वरूप माधवाचार्य,
परिसमापक.

(407)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोलाय	1084/02-7-1991	620/13-02-1998
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुनाला	816/05-11-1986	620/13-02-1998
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगोरा	641/03-06-1982	620/13-02-1998
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अम्बाचंदन	681/14-10-1982	620/13-02-1998
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भिडोता	1166/31-03-1993	620/13-02-1998
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमदपुर	738/29-08-1983	7843/06-12-1992
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पेडमी	689/14-10-1982	06-12-1992
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुधिया	617/14-10-1982	620/13-02-1998
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जोशी गुराडिया	696/14-10-1982	620/13-02-1998
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरमपुरी	1084/02-7-1991	620/13-02-1998
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलासिया	885/12-10-1988	620/13-02-1998
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिगाडम्बर	267/10-01-1980	620/13-02-1998

1	2	3	4
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बनेडिया	688/14-6-1982	620/13-02-1998
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोतला	1167/31-03-1993	2415/27-06-2015
15.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माचल	1086/02-08-1991	2415/27-06-2015
16.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपिपल्या	1081/02-08-1991	2415/27-06-2015
17.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किठोदा	1077/02-08-1991	2415/27-06-2015
18.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गवला	1087/12-08-1991	2415/27-06-2015
19.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गवली पलासिया	809/09-09-1985	2415/27-06-2015
20.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महूगाँव	750/18-8-1983	2415/27-06-2015
21.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडगोंदा	754/29-09-1983	2415/27-06-2015
22.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेठा	753/29-09-1983	2415/27-06-2015
23.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बसान्द्रा	-	2415/27-06-2015
24.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपुर	691/14-10-1982	2415/27-06-2015
25.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोदरिया	619/01-12-1981	2415/27-06-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-77 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, श्रमशिविर जेल रोड, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियाँ मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेखों या आस्तियाँ, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रको में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियाँ बोगस/शून्य मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(408)

के. एस. रघुवंशी,
अंकेक्षक अधिकारी एवं परिसमापक.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपानिया, जिला इंदौर.	ए. आर./आय. डी. आर./ 837/16-10-1986	क्रमांक/परिसमापन/12 4425/30-10-2012.
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडाबांगडदा, जिला इंदौर.	ए. आर./आय. डी. आर./ 750/12-09-1983	क्रमांक/परिसमापन/12 4425/30-10-2012.

1	2	3	4
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नैनोद, जिला इंदौर.	ए. आर./आय. डी. आर./ 884/12-10-1988	क्रमांक/परिसमापन/12 4425/30-10-2012.
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामौदी, जिला इंदौर.	ए. आर./आय. डी. आर./ 887/12-10-1988	क्रमांक/परिसमापन/12 4425/30-10-2012.
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दतोदा, जिला इंदौर.	ए. आर./आय. डी. आर./ 601/24-10-1981	क्रमांक/परिसमापन/12 4425/30-10-2012.

सहकारी अधिनियम की धारा-77 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियों परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, श्रमशिविर जेल रोड, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेखों या आस्तियों, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियों समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रको में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियों बोगस/शून्य मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

संजय कुचनकर,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

(409)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन सभाग उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 29 अप्रैल, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18-ए (1) के परन्तुक के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

एवं सदस्यगण समस्त

कृषि विकास एवं परिवहन सहकारी संस्था मर्या., रतलाम.

पता-5, कुतुबी मार्केट महु रोड, रतलाम, जिला रतलाम.

द्वारा :-उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम.

क्र./परि./2015/511.—अध्यक्ष कृषि विकास एवं परिवहन सहकारी संस्था मर्या., रतलाम के पत्र क्रमांक/क्यू./2014/4, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से कृषि विकास एवं परिवहन सहकारी संस्था मर्या., रतलाम (पंजीयन क्रमांक जे. आर./यू. जे. एन./03, दिनांक 17 फरवरी, 2014) का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-क के अंतर्गत पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव में अवगत कराया गया है कि उक्त संस्था की आमसभा दिनांक 25 जुलाई, 2014 में निर्णय लिया गया है कि संस्था द्वारा उपविधि अनुसार जो उद्देश्य विहित किये गये हैं, उस अनुसार संस्था कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रही है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है। तत्सम्बन्ध में उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम द्वारा उपने पत्र क्रमांक/शिकायत/सं.आ./2015/311, दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा भी प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में अवगत कराया गया है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।

अतः संस्था अध्यक्ष के पत्र के संलग्न प्रेषित आमसभा कार्यवाही विवरण एवं उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पंजीयन दिनांक से उक्त संस्था के अकार्यशील होने के आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण क्यों न समाप्त कर दिया जाए? इस सम्बन्ध में संस्था के संचालक मण्डल/सदस्यों को इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 25 मई, 2015 नियत की जाती है। उक्त नियत दिनांक तक संस्था का संचालक मण्डल/संस्था सदस्य अपना जबाब प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत दिनांक

तक अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने पर संस्था का सह. सोसायटी अधि. 1960 की धारा-18-ए (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाएगा एवं 18-ए (2) (3) के तहत शसकीय समनुदेशिती की नियुक्ति कर दी जाएगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. पी. मारण,
संयुक्त पंजीयक.

(381)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला शहडोल

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

बुनकर सहकारी समिति मर्या., बरतरा,

विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015 एवं संस्था का पत्र दिनांक 07 जून, 2015.

क्र./परि./2015/474.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि बुनकर सहकारी समिति मर्या., बरतरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 639, दिनांक 17 मार्च, 1978 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
5. संस्था के पास कोई भी फण्ड (राशि) उपलब्ध नहीं है. संस्था के वित्तीय पत्रकों के अनुसार इतनी भी राशि नहीं है कि संस्था का निर्वाचन कराया जा सके. ऑडिट फीस जमा करने हेतु भी राशि उपलब्ध नहीं है.
6. विगत तीन वर्षों के ऑडिट नोट के आधार पर आय-व्यय पत्रक निरंक है. आडिट नोट में आडिटर द्वारा संस्था को लगातार “डी” वर्ग में रखा है. अर्थात् संस्था अकार्यशील होकर निष्क्रिय है, आक्षेप में संस्था को परिसमापन में लाने को लिखा है.
7. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठके आयोजित नहीं की जाती हैं, संस्था ने वार्षिक आमसभा सम्पन्न नहीं कि जा रही है.
8. संस्था व्यवस्थापक ने संदर्भित पत्र में लेख किया है कि विगत तीन वर्षों से संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
9. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन करना बंद कर दिया गया है, स्पष्ट है कि संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि के शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया है, अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(406)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री डी. आर. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छाटा,
विकासखण्ड बुढार, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/455.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छाटा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1072, दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(387)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री एम. जैनुल आबदीन सहकारी निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरा,
विकासखण्ड बुढार, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/456.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1073, दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है। सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(387-A)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री ए. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंगेरा,
विकासखण्ड बुढार, जिला शहडोल मध्यप्रदेश।

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत।

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015।

क्र./परि./2015/457.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंगेरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1074, दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 है। संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है।
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है। सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(387-B)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री ए. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समदाटोला,
विकासखण्ड बुढार, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/458.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समदाटोला, जिसका पंजीयन क्रमांक 1069, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(387-C)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री एम. जैनुल आबदीन, सहकारी निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पकरिया,
विकासखण्ड बुढार, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/459.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पकरिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 1070, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(387-D)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री डी. आर. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जरवाही,
विकासखण्ड बुढार, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/460.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जरवाही, जिसका पंजीयन क्रमांक 1071, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(387-E)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री ए. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कटकोना,
विकासखण्ड बुढार, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/461.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कटकोना, जिसका पंजीयन क्रमांक 1075, दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(387-F)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री ए. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मैका,
विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/462.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मैका, जिसका पंजीयन क्रमांक 1047, दिनांक 17 मई, 2006 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है। सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(387-G)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री ए. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक
विराट प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सोहागपुर,
विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश।

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत।

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015।

क्र./परि./2015/463.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि विराट प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सोहागपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 28 मार्च, 1991 है। संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है।
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है। सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(387-H)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री डी. आर. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक
महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बलपुरवा,
विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/464.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बलपुरवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 954, दिनांक 07 जनवरी, 1999 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(387-1)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री एम. पी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक
वनकेन्द्र साख सहकारी समिति मर्या., शहडोल,
विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/465.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि वनकेन्द्र साख सहकारी समिति मर्या., शहडोल, जिसका पंजीयन क्रमांक 643, दिनांक 25 सितम्बर, 1990 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है। सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(387-J)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

श्री अजय दुबे, उप-अंकेक्षक,

प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक

दक्षिण-पूर्व रेल्वे कर्मचारी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार

मर्या., शहडोल, विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/466.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि दक्षिण-पूर्व रेल्वे कर्मचारी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शहडोल, जिसका पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 01 अगस्त, 1953 है। संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है।
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है। सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(387-K)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,
वार्ड क्रमांक 01 धनपुरी, विकासखण्ड सोहागपुर,
जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/467.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., वार्ड क्रमांक 01 धनपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 651, दिनांक 22 दिसम्बर, 1998 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(387-L)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,
रूगताकालरी, विकासखण्ड बुढार,
जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/468.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रूगताकालरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 684, दिनांक 11 अक्टूबर, 1968 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है। सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(387-M)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

श्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथखई,
विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/469.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथखई, जिसका पंजीयन क्रमांक 1088, दिनांक 29 मई, 2010 है। संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है।
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है। सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(387-N)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

संजीवनी बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या.,

कंदोहा, विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/470.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि संजीवनी बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., कंदोहा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1091, दिनांक 14 जुलाई, 2010 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

(387-O)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

सोनगंगा विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या.,

सतखुडी (देवलौद), विकासखण्ड ब्योहारी,

जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/471.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि सोनगंगा विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., सतखुडी (देवलौद), जिसका पंजीयन क्रमांक 1062, दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है। सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(387-P)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

बुनकर सहकारी समिति मर्या., चुनिया,

विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश।

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत।

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015।

क्र./परि./2015/472.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि बुनकर सहकारी समिति मर्या., चुनिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 432, दिनांक 09 मार्च, 2006 है। संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है।
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है। सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया।

(387-Q)

शहडोल, दिनांक 19 जून, 2015

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

बंजारा हाथकरघा सहकारी समिति मर्या., मैकी,
विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.

विषय- कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत.

संदर्भ- सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल का पत्र क्रमांक/अंके./2015/71, दिनांक 29 मई, 2015.

क्र./परि./2015/473.—सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, शहडोल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि बंजारा हाथकरघा सहकारी समिति मर्या., मैकी, जिसका पंजीयन क्रमांक 431, दिनांक 08 मार्च, 2006 है. संस्था के कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
5. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः संस्था कार्य संचालन में अरुचि है. सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपने उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 19 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में प्रमाण सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदानुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

बी. एस. परते,

उपायुक्त सहकारिता.

(387-R)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला कार्मिक सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1115, दिनांक 25 फरवरी, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1099, दिनांक 27 जुलाई, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 05 जून, 2015 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 05 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,

उप-पंजीयक.

(390)

कार्यालय परिसमापक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

दिनांक 08 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-71 (2) (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./ते.प्र./2015/वित्त/802.—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/विप./ते.प्र./2013/1805, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 के तहत तिलहन संघ को परिसमापन में लाने के फलस्वरूप परिसमापक द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत तिलहन संघ के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करते हुए पत्र क्रमांक/तिल.संघ/परिसमापक/2013/1206, दिनांक 12-11-2013 द्वारा सूचना का समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर मय प्रमाण के साथ अपने दावों को प्रकाशन दिनांक 8-12-2013 से दो माह के अंदर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था. प्राप्त दावों का संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से परीक्षण कराया गया. प्राप्त दावों का अनुसंधान/परीक्षण धारा-71 (2) (सी) के अंतर्गत किया गया तथा संस्था के लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों का अवलोकन किया गया. दावेदारों द्वारा प्राप्त दावों का निराकरण करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत निम्नानुसार किया जाता है :—

क्र.	दावेदार का नाम, पता	दावा विवरण	दिनांक	प्राप्त दावा राशि	दावा स्वीकृत/अस्वीकृत राशि	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्री एस के. सिंह, वरिष्ठ सहायक तिलहन संघ मुख्यालय, भोपाल.	केंसर चिकित्सा देयक भुगतान	29-11-2013	2,00,000	स्वीकृत 1,01,775	सेवा नियम अनुसार पूर्व से लंबित जे. एन.केंसर हॉस्पिटल के देयक स्वत्व/दावा स्वीकृत.
2.	वाणिज्यिक कर अधिकारी/अति. तहसील अधिकारी, वृत्त-1, भोपाल.	टिन नं. 23423600423 वर्ष 1986-87 से 2010-11 कराधान दावा मूल राशि शास्ति एवं ब्याज. टिन नं. 23913602336 वर्ष 1991-92 से 2002-03 तक कराधान मूल एवं ब्याज राशि वर्ष 2003-04 से 2008-09.	19-12-2013	23,98,92,146 69,08,94,739 3,77,23,047 10,46,77,650 1,41,14,833	स्वीकृत 1,08,73,02,415	वर्ष 1986-87 से 2008-09 तक के प्रकरणों में कराधान एवं ब्याज की राशि रु. 1,08,73,02,415 हेतु पंजीयक को प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है. संघ के लेखा पुस्तकों में दर्ज जीटीओ/टीटीओ पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा किया गया एसेसमेंट आदेश के आधार पर दावा स्वीकृत.
3.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 59, अरेरा हिल्स, भोपाल.	भविष्य निधि देयताएं, ब्याज एवं शास्तियां कास्ट—	10-01-2014	15,15,71,761	8,00,01,330 14 B 7 Q 6,31,68,540 14,31,69,870 2,000	दावा राशि 10/82 से 04/06 तक एवं 08/02 से 04/06 तक की राशि रु. 79,46,550 का भुगतान संघ द्वारा किया जा चुका है एवं राशि रु. 4,53,347 का भुगतान राज्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						महिला आयोग एवं भविष्य निधि कार्यालय से संबंधित है. दावा स्वीकृत प्रकरण भविष्य निधि अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन. भुगतान न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन होगा.
4.	स्वास्तिक स्टोर, मेन रोड, करेली	सिक्कूरिटी अमानत वापिस करने हेतु	08-01-2014	30,000 30,000	स्वीकृत	60,000 प्रस्तुत दावा संघ के लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध होने से स्वमेव स्वीकृति योग्य होने से मान्य.
5.	लक्ष्मण जवखेडकर 35/1, झिर परिसर साँवेर रोड, उज्जैन.	30-06-99 से 08-12-2013 तक का बकाया वेतन.	10-02-2014	515/- P. M.	अस्वीकृत	— दावाकर्ता संघ कर्मचारी नहीं/दावा समयावधि पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
6.	कैलाश पालीवाल ऑपरेटर, देवास रोड, उज्जैन.	01-07-99 से 08-12-2013 तक का बकाया वेतन.	10-02-2014		अस्वीकृत	— दावाकर्ता संघ कर्मचारी नहीं/दावा समयावधि पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
7.	किशन वर्मा, फिटर, डी-414, विवेकानंद कॉलोनी, उज्जैन.	11-07-99 से 08-12-2013 तक का बकाया वेतन.	10-02-2014		अस्वीकृत	— दावाकर्ता संघ कर्मचारी नहीं/दावा समयावधि पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
8.	अरविंद क्षीरसागर विस्तार अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट.	वेतन 2005	11-02-2014	24,465	अस्वीकृत	— दावा समयावधि पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
9.	मोइनउद्दीन शेख, केमिस्ट 172, आदर्श नगर, उज्जैन.	01-07-99 से 08-12-2013 तक का बकाया वेतन.	12-02-2014		अस्वीकृत	— दावाकर्ता संघ कर्मचारी नहीं/ दावा समयावधि पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
10.	भारत राम ध्रुव, विस्तार अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट.	दावा प्रकरण	12-02-2014	21,000	अस्वीकृत	— दावा समयावधि पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11.	म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. वृत्त, छिंदवाड़ा.	छिंदवाड़ा संयंत्र पर स्थापित उच्चदाब कनेक्शन की बकाया राशि.	12-02-2014	91,37,786	स्वीकृत	91,37,786	प्रकरण फरवरी, 2005 से नवम्बर, 2006 तक से संबंधित है. दावा राशि का प्रकरण 9 वर्षों से लंबित है. दावा राशि अभिलेखों से प्रमाणित एवं आरआरसी दिनांक 03-09-2010 एवं 06-10-2010 से जारी होने से दावा राशि स्वमेव विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जाने से नियमानुसार स्वीकृत.
12.	म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड 26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल.	ऋण राशि वर्ष 1994-95 से संबंधित.	04-01-2014	21,18,47,100	स्वीकृत	21,18,47,100	प्रश्नाधीन दावे के ऋण राशि का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में होने से स्वमेव मान्य योग्य है. नियमानुसार
		ब्याज 1-10-95 से 31-12-2013 तक दर 13 प्रतिशत.		1,86,20,42,491	स्वीकृत	1,79,78,19,669	परिसामपन दिनांक 12-11-2013 तक का ब्याज राशि
				2,07,38,89,591		2,00,96,66,769	1,79,78,19,669 मान्य किया गया. तत्पश्चात् का अस्वीकृत. राशि का भुगतान शासन/ न्यायालयीन निर्णय/ समझौते के निर्णय के अध्याधीन रहेगा.
13.	आई.डी.एम.सी. लिमिटेड, श्री मोहिनी तिलवानी वरि. महा प्रबंधक, कामर्शियल सर्विस.		12-03-2014	59,911	अस्वीकृत	—	दावा समयावधि पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
14.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उप-क्षेत्रीय कार्यालय, उज्जैन.	खाता क्र. 6776 में भविष्य निधि धारा 14बी दावा 09-97 से 06-99 तक.	31-01-2014	19,99,670	स्वीकृत	19,99,670	आदेश दिनांक 21-10-2013 से रु. 49,80,907 की वसूली/भुगतान हेतु आदेश जारी दिनांक 23-12-2013 से
					स्वीकृत	29,81,237	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		7 क्यू, डेमरेज एवं ब्याज की बकाया राशि.		29,81,237 49,80,907	स्वीकृत	49,80,907	स्पेशल आरआरसी जारी. दावा स्वीकृत. प्रकरण मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में विचाराधीन है. भुगतान न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन.
15.	श्री व्ही. के. सिंघल, बी-10, सुरेन्द्र एस्टेट, चूना भट्टी, भोपाल.	रोकी ग्रेच्युटी 23,581.00 लंबित. चिकित्सा देयक वर्ष 98-99 से वर्ष 2002-03 तक रु. 53,251.35 ब्याज राशि 135554.38 ब्याज दर 9 प्रतिशत	20-01-2014	2,12,416.77	अस्वीकृत	2,12,416.77	ग्रेच्युटी संघ के अभिलेख अनुसार कोई राशि रोकी नहीं गई हैं. अवधि के हैं. कार्यालय की पावती प्रस्तुत करने की दिनांक एवं मेडिकल बिल की छायाप्रति के प्रमाण संलग्न नहीं किए गए. प्रकरण 13 से 18 वर्ष पूर्व अवधि के हैं कार्यालयीन रिकार्ड से इनकी पुष्टि संभव नहीं हो सकी. अतएव प्रकरण अस्वीकृत.
16.	श्री इशाक खॉन, नियर मीणा भवन, नागझिरी, देवास.	बकाया वेतन 1999 से 2013	10-02-2014	—	अस्वीकृत	—	दावाकर्ता संघ कर्मचारी नहीं/दावा समयावधि पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.

उपरोक्तानुसार प्राप्त दावों के समक्ष उल्लेखित विवरण अनुसार सूचना प्रकाशन दिनांक 8-12-2013 की दो माह की अवधि के भीतर एवं साक्ष्य सहित प्राप्त दावों को स्वीकृत किया जाता है तथा समयावधि बाह्य दावों/प्रमाणों के अभाव में प्राप्त दावों को अस्वीकृत किया जाता है. संघ के लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध स्वमेव विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

उपरोक्तानुसार दावेदार/लेनदारों के समक्ष अंकित विवरण अनुसार कुल राशि रु. 325,44,21,522/- राशि के दावे स्वीकार किये जाते हैं. स्वीकृत दावों की राशि का संस्था के लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की जावे. स्वीकृत दावों/संघ के लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व संघ के लेखा पुस्तकों/ अभिलेखों के परीक्षण/सत्यापन उपरान्त ही स्वीकृत राशि का भुगतान अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, न्यायालयीन निर्णय/राज्य शासन/पंजीयक के निर्णय/निर्देश, समझौते के निर्णय तथा मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-36/2012/15-1 भोपाल, दिनांक 1 अगस्त, 2014 के अध्याधीन रहते हुए किया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदमुद्रा से जारी किया गया.

(392)

दिनांक 08 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-71 (2) (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./ते.प्र./आरएण्डआई/2015/803.—पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/विप./ते.प्र./2013/1805, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 के तहत तिलहन संघ को परिसमापन में

लाने के फलस्वरूप परिसमापक द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत तिलहन संघ के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करते हुए पत्र क्रमांक/तिल.संघ/परिसमापक/2013/1206, दिनांक 12-11-2013 द्वारा सूचना का समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर मय प्रमाण के साथ अपने दावों को प्रकाशन दिनांक 8-12-2013 से दो माह के अंदर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था. प्राप्त दावों का संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से परीक्षण करवाया गया. प्राप्त दावों का अनुसंधान/परीक्षण धारा-71 (2) (सी) के अंतर्गत किया गया तथा संस्था के लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों का अवलोकन किया गया. दावेदारों द्वारा प्राप्त दावों का निराकरण करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	दावेदार का नाम	पता	दावा विवरण	दावा राशि	संघ में दावा प्राप्ति दिनांक	स्वीकृत/अस्वीकृत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	चारखेडा, जिला होशंगाबाद.	अंश क्रय राशि	151593.00	21-01-2014	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक संलग्न होने से स्वीकृत.
			संध देय क्रेडिटर्स	48016.00		
			संध देय बीज	1558.45		
			संध देय कमीशन	769.50		
			संध देय प्रासंगिक व्यय	5808.59		
			संध देय अन्य	2384.56		
			योग . .	210201.02		
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	छिदगांव मेल, जिला होशंगाबाद.	अंश क्रय राशि	135248.75	21-01-2014	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक संलग्न होने से स्वीकृत.
			संध देय क्रेडिटर्स	237306.92		
			संध देय कमीशन	200.61		
			संध देय अन्य	2026.70		
			संध देय तेल खाता	863.83		
			संध देय खाद	11221.60		
			संध देय परिवहन	1293.25		
			योग . .	388161.66		
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	पलासनेर, जिला होशंगाबाद.	अंश क्रय राशि	92405.50	27-01-2014	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक संलग्न होने से स्वीकृत.
			संध देय बीज	9240.00		
			संध देय कमीशन	111109.30		
			योग . .	212754.80		
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	भादूगांव, जिला होशंगाबाद.	अंश क्रय राशि	81500.00	22-01-2014	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक संलग्न होने से स्वीकृत.
			संध देय बीज	1766.25		
			संध देय कमीशन	95514.52		
			संध देय प्रासंगिक व्यय	917.99		
			संध देय अन्य	8853.82		
			योग . .	188552.58		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	धौलपुर, जिला होशंगाबाद.	अंश क्रय राशि	175435.95	17-01-2014	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक संलग्न होने से स्वीकृत.
			संध देय खाद	1577.39		
			संध देय कमीशन	259069.91		
			योग . .	436083.25		
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	बज्जर वाडा जिला होशंगाबाद.	अंश क्रय राशि	67045.00	21-01-2014	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक संलग्न होने से स्वीकृत.
			योग . .	67045.00		
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	आँचलखेडा जिला होशंगाबाद.	अंश क्रय राशि	31235.00	21-01-2014	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक संलग्न होने से स्वीकृत.
			योग . .	31235.00		
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	रोहना जिला होशंगाबाद.	अंश क्रय राशि	137916.75	21-01-2014	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक संलग्न होने से स्वीकृत.
			योग . .	137916.75		
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	शिवपुर कलां जिला होशंगाबाद.	अंश क्रय राशि	334302.00	21-01-2014	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक संलग्न होने से स्वीकृत.
			संध देय क्रेडिटर्स	206944.00		
			योग . .	541246.00		
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	बाँया जिला सीहोर	अंश क्रय राशि	15000.00	22-01-2014	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक संलग्न होने से स्वीकृत.
			योग . .	15000.00		
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	डोलरिया जिला होशंगाबाद.	अंश क्रय राशि	116036.00	16-01-2014	अंकेक्षित वित्तीय पत्रक संलग्न होने से स्वीकृत.
			योग . .	116036.00		
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	रतवाडा जिला होशंगाबाद.	अंश क्रय राशि	13500.00	16-01-2014	अंश राशि प्रमाण-पत्र होने से स्वीकृत.
			योग . .	13500.00		
13.	श्री अशोक पिता हुकुमचंद जैन	खरगोन	खाद विक्रय केन्द्र प्रारंभ हेतु	50000.00	01-02-2014	रसीद होने से स्वीकृत.
			योग . .	50000.00		
14.	सचिव, तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	मुडियाखेडा जिला रायसेन	अंश क्रय राशि	40500.00	07-02-2014	अंश प्रमाण-पत्र होने से स्वीकृत.
			योग . .	40500.00		
15.	जिला विपणन अधिकारी	विपणन संघ धार	क्रीटनाशक औषधि	317264.00	12-03-2014	दावा समय-सीमा पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
			योग . .	317264.00		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	परिसमापक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	मानपुर, जिला इन्दौर	अंश क्रय राशि योग ..	1056.00 1056.00	11-04-2014	दावा समय-सीमा पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
17.	परिसमापक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	बसान्द्रा, जिला इन्दौर	अंश क्रय राशि योग ..	48500.00 48500.00	11-04-2014	दावा समय-सीमा पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
18.	परिसमापक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	मेण, जिला इन्दौर	अंश क्रय राशि योग ..	500.00 500.00	11-04-2014	दावा समय-सीमा पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
19.	परिसमापक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	महुँगाँव, जिला इन्दौर	अंश क्रय राशि योग ..	7500.00 7500.00	11-04-2014	दावा समय-सीमा पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
20.	परिसमापक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	कोदरिया, जिला इन्दौर	अंश क्रय राशि योग ..	31500.00 31500.00	11-04-2014	दावा समय-सीमा पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
21.	परिसमापक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	राय पिपल्या, जिला इन्दौर	अंश क्रय राशि योग ..	8500.00 8500.00	11-04-2014	दावा समय-सीमा पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
22.	परिसमापक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	जोशी गुराडिया, जिला इन्दौर	अंश क्रय राशि योग ..	164.00 164.00	11-04-2014	दावा समय-सीमा पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
23.	परिसमापक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	गवला, जिला इन्दौर	अंश क्रय राशि योग ..	3500.00 3500.00	11-04-2014	दावा समय-सीमा पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
24.	परिसमापक तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	मोथला, जिला इन्दौर	अंश क्रय राशि योग ..	525.00 525.00	11-04-2014	दावा समय-सीमा पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
25.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति	जामनेर, जिला शाजापुर.	अंश क्रय राशि	500.00	02-07-2014	दावा समय-सीमा पश्चात् प्राप्त होने से अस्वीकृत.
			संध देय बीज उपार्जन कमीशन	47775.00		
			संध देय बीज	14381.40		
			संध देय कमीशन	9520.00		
			संध देय प्रासंगिक व्यय	1203.75		
			क्षेत्रीय अंश क्रय राशि	500.00		
			संघ को अधिक भुगतान	2250.00		
			संघ देय प्रदर्शन	945.00		
			संध देय सीहोर	7032.23		
			संध देय स्टाम्प	836.75		
			संध देय कल्चर/थायरम	2257.00		
			संध देय सरसों	218.40		
			योग ..	87419.53		

क्र.	दावेदार का नाम	पता	दावा विवरण	दावा राशि	संघ में दावा प्राप्ति दिनांक	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	मध्यप्रदेश माध्यम	भोपाल	विज्ञापन प्रकाशन की राशि	53431.00	06-01-2014	प्रमाणक होने से स्वीकृत.
योग . .				53431.00		

उपरोक्तानुसार प्राप्त दावों के समक्ष उल्लेखित विवरण अनुसार सूचना प्रकाशन दिनांक 8-12-2013 की दो माह की अवधि के भीतर एवं साक्ष्य सहित प्राप्त दावों को स्वीकृत किया जाता है तथा समयावधि बाह्य दावों/प्रमाणों के अभाव में प्राप्त दावों को अस्वीकृत किया जाता है. संघ के लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

उपरोक्तानुसार दावेदार/लेनदारों के समक्ष अंकित विवरण अनुसार कुल राशि रु. 2501660/- राशि के दावे स्वीकार किये जाते हैं. स्वीकृत दावों की राशि का संस्था के लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की जावे. स्वीकृत दावों/संघ के लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व संघ के लेखा पुस्तकों/अभिलेखों के परीक्षण/सत्यापन उपरान्त तथा धारा-29 के प्रावधानों के अंतर्गत अंशदान निर्धारण के उपरांत ही स्वीकृत राशि का भुगतान किया जावे. न्यायालयों में प्रस्तुत/विचाराधीन प्रकरणों में राशि का भुगतान न्यायालय निर्णय के अध्याधीन रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एन. कोरी,
परिसमापक.

(392-A)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 29 मई, 2015

क्र./परि./2015/1257.—निम्नांकित सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शित एवं कॉलम नंबर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नंबर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नंबर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :-

क्रमांक	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	अ. ज. जा. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., टेहडोंगर.	483/19-03-2003	767/04-06-2014	श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नंबर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नंबर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(391)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015-16/74, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार प्रजापति कामगार सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 964, दिनांक 01 मई, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. तामिली हेतु श्री आर. के. यादव स. नि./सहकारिता विस्तार अधिकारी, धार को दिया गया था. उन्होंने सूचित किया गया कि संस्था पंजीकृत पते पर संस्था पदाधिकारी नहीं पाये जाने से सूचना-पत्र तामिल नहीं हो सका. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रजापति कामगार सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. बी. पाण्डे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(388)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015-16/77, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार श्री वैष्णव बैरागी साख सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1042, दिनांक 15 सितम्बर, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. तामिली हेतु श्री आर. के. यादव स. नि./सहकारिता विस्तार अधिकारी, धार को दिया गया था. उन्होंने सूचित किया गया कि संस्था पंजीकृत पते पर संस्था पदाधिकारी नहीं पाये जाने से सूचना-पत्र तामिल नहीं हो सका. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वैष्णव बैरागी साख सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(388-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015-16/75, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार उर्वशी कामगार सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1089, दिनांक 05 अक्टूबर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. तामिली हेतु श्री आर. के. यादव स. नि./सहकारिता विस्तार अधिकारी, धार को दिया गया था. उन्होंने सूचित किया गया कि संस्था पंजीकृत पते पर संस्था पदाधिकारी नहीं पाये जाने से सूचना-पत्र तामिल नहीं हो सका. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वशी कामगार सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(388-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015-16/90, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार माँ दुर्गा आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलरझिरी, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1300, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. तामिली हेतु श्री आर. के. यादव स. नि./सहकारिता विस्तार अधिकारी, धार को दिया गया था. उन्होंने सूचित किया गया कि संस्था पंजीकृत पते पर संस्था पदाधिकारी नहीं पाये जाने से सूचना-पत्र तामिल नहीं हो सका. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ दुर्गा आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलरझिरी, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंडारकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(388-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015-16/94, धार, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय कर्मचारी परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 344, दिनांक 01 सितम्बर, 1969 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. तामिली हेतु श्री आर. के. यादव स. नि./सहकारिता विस्तार अधिकारी, धार को दिया गया था. उन्होंने सूचित किया गया कि संस्था पंजीकृत पते पर संस्था पदाधिकारी नहीं पाये जाने से सूचना-पत्र तामिल नहीं हो सका. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए के शासकीय महाविद्यालय कर्मचारी परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,

उप-रजिस्ट्रार.

(388-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला सतना

सतना, दिनांक 27 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/626.—इंदिरा महिला साख सहकारी समिति मर्या., धवारी सतना, पंजीयन क्रमांक 283, दिनांक 05 फरवरी, 1998 है के आदेश क्रमांक 1193, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. गुप्ता, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आम सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है। अतः सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. पी. पाल. उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1193, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत इंदिरा महिला साख सहकारी समिति मर्या., धवारी सतना का पंजीयन क्रमांक 283, दिनांक 05 फरवरी, 1998 को पुनर्जीवित करता हूँ।

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ—

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. श्रीमती आशा पाण्डेय, अध्यक्ष | 7. श्रीमती आशा गुप्ता, सदस्य |
| 2. श्रीमती शिवकुमारी कुशवाहा, उपाध्यक्ष | 8. श्रीमती संध्या कोल, सदस्य |
| 3. श्रीमती केशकली गुप्ता, सदस्य | 9. श्रीमती राजकुमारी, सदस्य |
| 4. श्रीमती शान्ती कुशवाहा, सदस्य | |
| 5. श्रीमती किरण पाण्डेय, सदस्य | |
| 6. श्रीमती गीता देवी, सदस्य | |

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(389)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

महिला प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., वार्ड क्रमांक 01 सतना, पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 01 नवम्बर, 1994 है के आदेश क्रमांक 1234, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. गुप्ता, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी।

संस्था की आम सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है। अतः सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. पी. पाल. उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1234, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत महिला प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., वार्ड क्रमांक 01 सतना, पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 01 नवम्बर, 1994 को पुनर्जीवित करता हूँ।

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ—

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. श्रीमती कांति सिंह, अध्यक्ष | 7. श्रीमती साधना सिंह, सदस्य |
| 2. श्रीमती माया सिंह, उपाध्यक्ष | 8. श्रीमती इंद्रकली सिंह, सदस्य |
| 3. श्रीमती शहनाज बेगम, सदस्य | 9. श्रीमती रामकली सिंह, सदस्य |
| 4. श्रीमती सायरा बानो, सदस्य | |
| 5. श्रीमती किरण सिंह, सदस्य | |
| 6. श्रीमती मुन्नी खाँ, सदस्य | |

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(389-A)

सतना, दिनांक 30 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/661.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./14/1196, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था स्टेशनरी कॉपी निर्माता एण्ड जनरल सप्लायर्स सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्र. 616, दिनांक 29 अगस्त, 1981 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्टेशनरी कॉपी निर्माता एण्ड जनरल सप्लायर्स सहकारी समिति मर्या., सतना, जिला सतना, पंजीयन क्र. 616, दिनांक 29 अगस्त, 1981 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(389-B)

सतना, दिनांक 30 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./14/1197, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था स्टेशनरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कृष्णनगर सतना, पंजीयन क्र. 609, दिनांक 28 अप्रैल, 1981 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्टेशनरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कृष्णनगर सतना, जिला सतना, पंजीयन क्र. 609, दिनांक 28 अप्रैल, 1981 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(389-C)

सतना, दिनांक 30 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./14/1195, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था प्रिंटिंग स्टेशनरी सप्लायर्स एवं निर्माण सहकारी समिति मर्या., महदेवा, पंजीयन क्र. 207, दिनांक 27 जुलाई, 1995 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रिंटिंग स्टेशनरी सप्लायर्स एवं निर्माण सहकारी समिति मर्या., महदेवा, जिला सतना, पंजीयन क्र. 207, दिनांक 27 जुलाई, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

आर. पी. पाल,

उप-रजिस्ट्रार.

(388-D)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2015-श्रावण 9, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के ग्वालियर, श्योपुर, पन्ना, अनूपपुर, उमरिया, विदिशा, जबलपुर, मंडला जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.— तहसील डबरा (ग्वालियर), पन्ना, गुन्नौर, शाहनगर (पन्ना), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), कुरवाई (विदिशा), सीहोरा, जबलपुर (जबलपुर), विछिया, नैनपुर, मंडला, नारायणगंज (मंडला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.— तहसील ग्वालियर (ग्वालियर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.— तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), पवई (पन्ना) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.— जिला श्योपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.— ..

4. फसल स्थिति.— ..

5. कटाई.— जिला धार, बुरहानपुर, होशंगाबाद में फसल गेहूँ, चना व सिंगरौली में तुअर, अलसी, राई-सरसों, चना, मसूर, जौ, गेहूँ व पन्ना, सागर, खरगौन, सीहोर, बैतूल, डिण्डौरी व सिवनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.— जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, उमरिया, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	82.0				
2. कराहल	54.0				
3. विजयपुर	76.0				
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	27.3				
2. डबरा	0.8				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..		4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर	..		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्स्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) जौ, राई-सरसों, मूँग, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	13.2		(2) ..		
3. गुन्नौर	3.0				
4. पवई	54.0				
5. शाहनगर	4.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, सरसों. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुलाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, राई-सरसों, मसूर, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	1.4				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, जौ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	1.8				
2. पाली	5.0				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) ..		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2 तुअर, अलसी, राई- सरसों, चना, मसूर, जौ, गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ चना अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, राई-सरसों, जौ, आलू समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. चिवरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	6. संतोषप्रद, ..	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धडका	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ अधिक. (2) ..	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) गेहूँ, चना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	2.2				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना, समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर अधिक. चना, मसूर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) चना, मटर, तुअर अधिक. मसूर कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
*जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	7.2		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	2.4				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
*जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		सोयाबीन, चना कम.		
3. नरसिंहपुर	..		(2) ..		
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	0.6		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	10.0				
4. मण्डला	7.0				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	0.1				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) मक्का, धान, तुअर, सोयाबीन, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बजाग	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) ज्वार, कोदों-कुटकी, तुअर, मूँगफली, सोयाबीन, गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		तिल, चना, सन समान.		
3. लखनादौन	..		(2) ..		
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला भिण्ड, गुना, बड़वानी, राजगढ़, हरदा, कटनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.